सत्यमेव जयते

भारतीय भाषा संस्थान

(शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार)

मानसगंगोत्री, हुणसूर रोड, मैसूरु - 570 006

CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES

(Ministry of Education, Department of Higher Education, Govt. of India)

Manasagangotri, Hunsur Road, Mysuru - 570 006

भाषा प्रशिक्षण में डिप्लोमा

सूचीपत्र और आवेदन प्रपत्र

2026-27

Diploma in Language Training

Prospectus & Application Form

2026-27

Online application:
https://apply.ciil.org

भारतीय भाषा संस्थान
लक्ष्य और उद्देश्य

- भाषा संबंधी मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना और उनकी सहायता करना।
- भाषा के उपयोग के शैक्षणिक सामग्री और कॉर्पोरा बनाकर सभी भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान करना।
- भारत की अल्प ज्ञात, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें खतरे से बचाने के लिए।
- २० भारतीय भाषाओं में शिक्षण–अधिगम को प्रोत्साहित करके राष्ट्रीय अखंडता, बहुभाषावाद और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देना।
- विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिए भाषा संबंधी परामर्श का विस्तार करना और भारतीय भाषाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES
AIMS AND OBJECTIVES

- **To advise and assist the Central and State Governments in language-related matters.**
- **To contribute to the development of all Indian languages by creating pedagogical content and corpora of language use.**
- **To document Minor, Minority and Tribal languages of India and protect them against endangerment.**
- **To promote national integrity, multilingualism and linguistic harmony by encouraging teaching - learning in 20 Indian languages.**
- **To extend language related consultancies to various government institutions and create employment opportunities through Indian languages.**

भारतीय भाषा संस्थान के क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में भाषा शिक्षण

एक अनोखी पहल

भारतीय भाषा संस्थान (भा.भा.सं/सी.आई.आई.एल) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1969 में की गई थी। मैसूर में स्थित भा.भा.सं, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है। अपनी स्थापना के लगभग पाँच दशकों में भा.भा.सं सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। भारतीय भाषाओं पर व्यापक शोध एवं प्रकाशन का कार्य करने तथा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए यह संस्थान न ही सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जाना जाता है। संस्थान अपने क्षेत्रीय भाषा केंद्रों के माध्यम से त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लक्ष्य के साथ-साथ प्रशिक्षण में एक नवाचारपरक यह डिप्लोमा भी प्रदान करता है और इस तरह राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह भाषा प्रशिक्षण मुख्य रूप से सेवारत शिक्षकों, भावी शिक्षकों और भारतीय भाषाओं में अपना भविष्य बनाने के इच्छुक जन सामान्य के लिए है। इस में शामिल हुए प्रशिक्षणार्थियों के अनुसार यह कार्यक्रम सकारात्मक बदलाव लाने और भाषा-शिक्षण में लाभप्रद अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखता है।

शिक्षा मानव और सभ्यता के विकास के आधार के रूप में कार्य करती है और भाषाएँ शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण साधनों में से एक हैं। मानसिक विकास और ज्ञान के सृजन में भाषा शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द्वितीय या तृतीय भाषा का अधिगम हमारे मानसिक क्षितिज और हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करता है और अन्य संस्कृतियों तथा भाषाओं के मध्य समझ का विस्तार करने में सहायक होता है। यह बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करता है और भाषाओं तथा संस्कृतियों के विकास में योगदान देता है। भारतीय भाषा संस्थान द्वितीय भाषा सीखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। द्वितीय भाषा सीखकर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकीकरण में सकारात्मक योगदान देते हुए अंत:-सांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। भाषा-प्रशिक्षण में संस्थान का यह डिप्लोमा आर्थिक लाभ प्रदान करता है और व्यक्तित्व का विकास करता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी विकास के अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। क्या आप इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं? तो यथाशीघ्र आवेदन करें तथा स्वयं और अपने छात्रों की आनेवाली पीढ़ियों के जीवन में तथा अपनी भाषाओं और संस्कृतियों के विकास में योगदान करें।

निदेशक की ओर से

भारत सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास हेतु भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 17 जुलाई 1969 को की गई। अपने आरंभ के समय से ही संस्थान अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत कार्यरत है। इस संस्थान की स्थापना इसलिए आवश्यक हुई ताकि भारत के सभी राज्यों में त्रिभाषा-सूत्र को लागू किया जाय और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाय। इसके परिणामस्वरूप कर्नाटक, ओडिसा, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना हुई। भा.भा.सं. इन सभी केंद्रों में भाषा प्रशिक्षण को प्रतिवर्ष चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करता है। इस पहल की व्यापक सराहना देश भर के सभी भाषा उत्साही जन करते हैं और यह जरूरी शिक्षा के संचरण में सफल रहा है। भारत की भाषिक विविधता को देखते हुए उन शिक्षकों की सदा मांग रही है जो क्षेत्रीय भाषाओं का अध्यापन कर सकें और शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार कर सकें। यह समय की मांग है कि नागरिकों के बीच द्वि/बहुभाषिकता का संरक्षण किया जाय और देश भर के हमारे क्षेत्रीय भाषा केंद्र इस दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। द्वितीय भाषा अधिगम के लाभों से सामाजिक एवं अकादमिक जगत् परिचित है और वे इसे स्वीकार भी करते हैं। मैं आम लोगों में से महिलाओं एवं युवाओं, अकादमिक लोगों एवं वर्तमान तथा भावी शिक्षकों को इस भाषा प्रशिक्षण में आवेदन करने और इस अवसर का लाभ उठाने हेतु विशेष रूप से प्रोत्साहित करता हूँ।

क्षेत्रीय भाषा केंद्रों का अब यह दायित्व है कि वे द्वितीय या विदेशी भाषा के रूप में भारतीय भाषाओं के शिक्षण, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को अधिक भाषाई विकल्प देने हेतु माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रशिक्षण, तथा अंतर भाषा अनुवाद जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता में योगदान देने वाली जागरूकता को जगाने की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्रियों एवं शिक्षण की रणनीतियों का निर्माण करें। क्षेत्रीय भाषा केंद्रों द्वारा ऑनलाईन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना को वर्तमान तकनीकी एवं भाषा शिक्षण परिदृश्य की मांगों को पूरा करने हेतु आवश्यकता आधारित शिक्षा के लिए संशोधित कर लिया गया है। भा.भा.सं को भाषा कार्यक्रमों, द्वितीय भाषा शिक्षण एवं मातृभाषा शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक निकायों एवं संस्थानों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हमारा संस्थान इन सेवाओं को प्रदान करने में एक सर्व-समावेशी उपागम को अपनाने के लिए सक्रियता से विचार कर रहा है। क्षेत्रीय भाषा केंद्र न सिर्फ विद्यालयों के शिक्षाशास्त्रीय उपागमों की निगरानी और उनका समाकलन करेंगे बल्कि सेवारत शिक्षकों को शैक्षणिक परामर्श भी प्रदान करेंगे। ये भाषा मूल्यांकन, परीक्षण, पाठचर्या निर्माण, पाठ्यपुस्तक लेखन एवं चयन से संबंधित विषयों पर भारत के सभी राज्यों को दिशा निर्देश देने हेतु आवश्यक उपाय भी करेंगे। विद्यालय की पाठचर्या की प्रोक्ति के सतत् परिवर्धन के लिए क्षेत्रीय भाषा केंद्र सामग्री विकास एवं मूल्यांकन हेतु कार्यशालाओं के संगठन एवं आयोजन की भी योजना बनाएंगे।

इससे भी ज्यादा, क्षेत्रीय भाषा केंद्र भारतीय भाषाओं के ऑनलाईन शिक्षण हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में विशद मुक्त ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु एक संरचनाबद्ध रूपरेखा के निर्माण के लिए भी कार्य कर रहे हैं।

शैलेंद्र मोहन
निदेशक, भा.भा.सं

क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में भाषा शिक्षा में डिप्लोमा

1. भाषा शिक्षण-अधिगम हेतु आधुनिक सुविधायुक्त क्षेत्रीय भाषा केंद्र

भारतीय भाषा संस्थान ने विद्यालय के शिक्षकों को द्वितीय भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए तथा त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान हेतु सात क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की स्थापना – मैसूरु, भुवनेश्वर, पटियाला, पुणे, सोलन, लखनऊ और गुवाहाटी में की है (तालिका 1 देखें)। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा 4.13, में कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र में बहुत अधिक लचीलापन होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिसूचित भाषाओं हेतु बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अपने पाँच दशकों के अनुभव के साथ, ये क्षेत्रीय भाषा केंद्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों को तैयार करने में भारत सरकार की मदद करेंगे और इस तरह त्रिभाषा सूत्र को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना योगदान करते रहेंगे।

अपनी स्थापना से लेकर पिछले लगभग 5 दशकों से ये क्षेत्रीय केंद्र सामान्यतया प्रति वर्ष ***जुलाई से अप्रैल माह*** तक द्वितीय भाषा शिक्षण में डिप्लोमा प्रदान करते रहे हैं। *इस प्रशिक्षण में 1085 घंटों का प्रभावी भाषा शिक्षण और अधिगम शामिल है।* ***इस आवासीय प्रशिक्षण की कुल प्रवेश क्षमता 506 है।***

यह गहन प्रशिक्षण व्यक्ति को संबद्ध द्वितीय भाषा में पूरा प्रभुत्व प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण के समाप्त होने पर प्रशिक्षणार्थियों (सेवारत शिक्षकों) के लिए सीखी गई भाषा को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाना आवश्यक होता है और इस तरह वे संबंधित राज्यों में त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में योगदान देते हैं।

क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आर.एल.सी) कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और असम, इन सात राज्यों में स्थित हैं। इन केंद्रों के शैक्षणिक कर्मी भाषा शिक्षण और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में प्रशिक्षित हैं। उन्हें द्वितीय भाषा के शिक्षण-अधिगम सहित पाठ्यक्रम-विकास, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण एवं मूल्यांकन, परीक्षण और अनुवाद का समृद्ध अनुभव है। वे न केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं बल्कि भाषा, संस्कृति, द्विभाषिकता, अनुवाद और भाषा शिक्षा से संबंधित अन्य क्षेत्रों के अध्ययन में नए मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में आधुनिक भाषा शिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएँ हैं। एन.ई.आर.एल.सी, गुवाहाटी को छोड़कर सभी केंद्रों की भाषा प्रयोगशाला में 20-25 टर्मिनल और पुस्तकालय में 15,000 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र हैं। इन केंद्रों के पुस्तकालयों में पढ़ाई जानेवाली भाषाओं में साहित्य और समाज विज्ञान की पुस्तकों की वृहद् श्रृंखला उपलब्ध है।

इसके अलावा यहाँ शब्दकोशों, संदर्भ ग्रंथों के साथ-साथ अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, व्याकरण और अनुवाद जैसे अन्य विषयों पर सामान्य पुस्तकें भी प्राप्त हैं। यहाँ प्रशिक्षणार्थी अपनी सीखी गई भाषा में पठन कौशल का विकास कर सकते हैं और भाषा, साहित्य, समालोचना, समाज विज्ञान एवं भाषा-शिक्षण से संबंधित अन्य विषयों में अपनी रुचि को पूरा कर सकते हैं।

तालिका 1: क्षेत्रीय भाषा केंद्र

क्र.सं	केंद्र	पढ़ाई जानेवाली भाषाएँ	स्थान	
1.	दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केंद्र मानसगंगोत्री, मैसूरु - 570 006 **कर्नाटक** दूरभाष: 0821-2345045/54/55/2512128 फैक्स: 0821-2416699	कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु	कन्नड़ मलयालम तमिल तेलुगु	22 22 22 22
2.	पूर्व क्षेत्रीय भाषा केंद्र लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर - 751 006 **ओडिसा** दूरभाष: 0674-2974610 फैक्स: 0674-2572918	बंगाली, मैथिली, उड़िया और संथाली	बंगाली मैथिली उड़िया संथाली	22 22 22 22
3.	उत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र पंजाबी विश्वविद्यालय परिसर पटियाला - 147 002 **पंजाब** दूरभाष: 0175-2286730/2922927 फैक्स: 0175-2282262	डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू	डोगरी कश्मीरी पंजाबी उर्दू	22 22 22 22
4.	पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र डेक्कन कॉलेज परिसर, पुणे - 411 006 **महाराष्ट्र** दूरभाष: 020-26699041 फैक्स: 020-26614710	गुजराती, कोंकणी, मराठी और सिंधी	गुजराती कोंकणी मराठी सिंधी	22 22 22 22
5.	उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र सप्रूँ, सोलन - 173 211 **हिमाचल प्रदेश** दूरभाष: 01792-223424/ 293224 फैक्स: 01792-225424	उर्दू	उर्दू	33
6.	उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र टीसी / 42-वी, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 **उत्तर प्रदेश** दूरभाष: 0522-2304917 फैक्स: 0522-2304918	उर्दू	उर्दू	33
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र 3931, बेलटोला कॉलेज रोड, माजीपारा, बोंगाँव, गुवाहाटी - 781 028 **असम** दूरभाष: 0361-2303867 फैक्स: 0361-2303152	असमिया, बोडो, मणिपुरी और नेपाली	असमिया बोडो मणिपुरी नेपाली	22 22 22 22
		कुल		**506**

2. पात्रता

सामान्य

i. आवेदक ने जिस भाषा के लिए आवेदन किया है उसमें कोई औपचारिक डिग्री, मूल/ मूल निवासीगत प्रवीणता या अनौपचारिक ज्ञान नहीं होना चाहिए।

ii. आवेदक ने किसी भी क्षेत्रीय भाषा केंद्र से किसी भी भाषा में प्रशिक्षण न लिया हो या प्रशिक्षण को बीच में न छोड़ा हो या वहाँ से बर्खास्त न किया गया हो।

iii. आवेदक तालिका 1 में दी गई सूची से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं।

iv. **आवेदकों को भाषा और केंद्र का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल होने के पश्चात भाषा और केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है।**

v. आवेदन में चयन की गई भाषा स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए अन्यथा सीटों का आबंटन क्षेत्रीय केंद्रों में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

vi. **उर्दू** भाषा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को **यू.टी.आर.सी, सोलन** / **यू.टी.आर.सी, लखनऊ/ एन.आर.एल.सी, पटियाला** में से किसी एक क्षेत्रीय भाषा केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा तीनों क्षेत्रीय भाषा केंद्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सीटें आबंटित की जाएँगी।

vii. यदि कोई आवेदक किसी विशेष वर्ष में चयनित हुआ है और वह इस प्रशिक्षण में सम्मलित नहीं होता है तो **अगले 3 वर्षों** तक उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

viii. **6 जुलाई 2026** को आवेदक की आयु **50 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा सेवारत शिक्षकों को ही आयु में छूट दी जाएगी।

ix. ध्यान रहे कि भाषा शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषा नहीं पढ़ाई जाती हैं।

विशेष

भाषा शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सिर्फ सेवारत शिक्षकों के लिए है। आवेदकों का नियमित संकाय सदस्य होना अनिवार्य है। संबंधित विद्यालयों के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संबद्ध क्षेत्रीय भाषा केंद्रों पर भेजनी होगी।

हालाँकि सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवेदकों में से भावी शिक्षकों, शोध छात्रों या जन सामान्य को भी प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन के समय प्रत्याशी वांछनीय अर्हता अवश्य धारण करते हों और यदि आवेदक इस योग्यता हेतु पढ़ाई कर रहे हों तो इसका उल्लेख आवेदन-पत्र में करना चाहिए। प्रशिक्षण के बीच में श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शोधार्थी

उन शोधार्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनका भाषा या उससे संबंधित विषय से पीएच.डी में पंजीकरण हो चुका है और जिन्हें लगता है कि भाषा के ज्ञान या भाषा के अध्ययन से उनके शोध कार्य में सहायता मिलेगी तथा जो आगे चलकर भाषा या भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों से जुड़े रहने में दीर्घकालीन रुचि रखते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन अपने विभाग के माध्यम से भेजें।

सभी श्रेणियों की अनिवार्य अर्हता नीचे दी गई है :

क) सेवारत शिक्षक

स्नातक या समकक्ष डिग्री के साथ सरकारी/ पूर्ण सहायता प्राप्त सरकारी प्राथमिक/उच्चतर प्राथमिक/उच्च विद्यालय में न्यूनतम तीन साल का अध्यापन अनुभव।

ख) भावी शिक्षक

शिक्षा में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री (बी.एड/एम.एड) या बीएल.एड या डीएल.एड **या**
टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी

ग) शोधार्थी

पीएच.डी. कर रहे शोध छात्र **या**
नेट/सेट/स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी

घ) जन सामान्य

i. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री
ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या
iii. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएच.डी का शोधकार्य पूर्ण किया हो, डिग्री प्राप्त की हो।

भाषा शिक्षण का प्रकार

नियमित या ऑफलाईन डिप्लोमा

जो छात्र नियमित प्रशिक्षण/ऑफलाईन मोड में शामिल होना चाहते हैं वे लगातार प्रशिक्षण का चयन कर सकते हैं या 4 माह के आधारभूत प्रशिक्षण, 3 माह के अंतरवर्ती प्रशिक्षण और 3 माह के प्रगत प्रशिक्षण का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तथापि डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए तीनों कार्यक्रमों को पूरा करना जरूरी होगा।

ऑनलाईन डिप्लोमा

यह प्रशिक्षण ऑनलाईन मोड में चलाया जाएगा जिसमें जुलाई से अक्तूबर माह तक 4 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण, नवंबर से जनवरी तक 3 माह का अन्तरवर्ती प्रशिक्षण और फ़रवरी से अप्रैल तक 3 माह का प्रगत प्रशिक्षण शामिल होगा। इन तीनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधारभूत, अंतवर्ती और प्रगत स्तर पर 15 दिनों की संपर्क कक्षाएँ शामिल हैं जो संबंधित केंद्रों पर चला करेगी। प्रगत प्रशिक्षण के दौरान 14 दिनों का भाषा पर्यावरण दौरा होगा। आवेदक पहले आधारभूत प्रशिक्षण का, बाद में अंतरवर्ती प्रशिक्षण का फिर प्रगत प्रशिक्षण का अलग-अलग चुनाव करेंगे या वे एक साथ इन तीनों का चुनाव करेंगे जो जुलाई से अप्रील तक चलेगा। आधारभूत पाठ्यक्रम, अंतरवर्ती पाठ्यक्रम और प्रगत पाठ्यक्रम के दौरान 15 दिनों का संपर्क कार्यक्रम संबद्ध केंद्रों पर चलाया जाएगा। संपर्क कक्षाओं के दौरान आवास उपलब्ध कराया जायेगा और यात्रा/दैनिक भत्ता दिया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी मात्र 3 टीयर वातानुकूलित के हक़दार हैं।

जो प्रशिक्षु ऑनलाईन भाषा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। वे आधारभूत प्रशिक्षण, अंतरवर्ती प्रशिक्षण तथा प्रगत प्रशिक्षण (सभी पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग) अथवा प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा प्रमाण-पत्र के हक़दार हैं।

3. पूर्ण लाभ सहित प्रवेश कैसे सुनिश्चित करें

i. आवेदन "डिप्लोमा आवेदन" अनुभाग के तहत **www.ciil.org/langtraining.php** पर ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा और जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन की हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी और यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा करना चाहता है तो वह वेबसाइट से आवेदन download कर सकता है और निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मनसगंगोत्री, मैसूरु -570006 को नियत तारीख से पहले डाक से जमा कर सकता है। **रु. 150/-** (एक सौ पचास रुपये मात्र) का आवेदन शुल्क या तो **QR code** के माध्यम से या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है और डिमांड ड्राफ्ट **"MHRD HIGHER CAS CLG" New Delhi** के पक्ष में देय होना चाहिए।

ii. सेवारत शिक्षकों को अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा जो विद्यालय के प्रधानाचार्य और बी.ई.ओ/ डी.ई.ओ/ बी.डी.ओ/ सी.ई.ओ/ ई.ओ/ डी.पी.आई/ डी.डी.पी.आई/ जेड़.ई.ओ/बी.एस.ए/स्कूल निरीक्षक के द्वारा विधिवत प्रमाणित और अग्रेषित हो।

iii. सरकारी/ पूर्ण सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अपने मूल वेतन, वेतनमान, दै.भ., ए.डी.ए, म.कि.भ, न.प्र.भ, वेतन वृद्धि की तारीख आदि जैसे विवरणों सहित अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान वेतन संशोधित होने की स्थिति में आवेदक को भत्ते के साथ संशोधित वेतन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रशिक्षण अवधि में प्रतिनियुक्ति भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का भुगतान करने की अनुमति है तो अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र में इसका भी उल्लेख करना होगा।

iv. केंद्र किसी भी अंशदायी योजना में नियोक्ता के योगदान का भुगतान नहीं करता है। आवेदकों को इसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

v. भावी शिक्षकों / शोधार्थियों और जन सामान्य को अपने आवेदन को संबंधित प्रमाण-पत्रों के साथ सीधे निदेशक, भा.भा.सं के कार्यालय में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त पीएच.डी कर रहे शोधार्थियों को कोर्सवर्क पूर्ण होने के प्रमाण के साथ “पीएच.डी. पंजीकरण” की प्रति तथा अपने विश्वविद्यालय से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" भी संलग्न करना होगा और साथ ही उनका आवेदन उनके शोध निर्देशक/मार्गदर्शक द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए। पीएच.डी शोधार्थी को प्रवेश के समय क्षेत्रीय भाषा केंद्र को एक वचनबंध देना होगा कि वह नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहेगा/रहेगी। ऐसा न करने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जाएगा।

vi. एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी और इ.डब्ल्यू.एस श्रेणियों से संबंधित सीटों का आरक्षण संवैधानिक प्रावधान के अनुसार होता है। पात्र होने पर आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं।

vii. सभी आवेदकों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि संबंधित आवेदक प्रशिक्षण के दौरान वातावरणीय एवं भोजन संबंधी बदलाव के लिए शारीरिक रुप से स्वस्थ है। इसे आवेदन पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए।

4. केंद्र तक की यात्रा

i. कार्यस्थल से विरमिति आदेश मिलने के पश्चात सेवारत शिक्षकों को रेल (3 टीयर वातानुकूलित मात्र) और यदि उनका स्थान रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है तो बस (नॉन डीलक्स/ए.सी बसों) द्वारा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से न्यूनतम समय में क्षेत्रीय भाषा केंद्र तक पहुँचना चाहिए। यदि कोई यात्रा पर न्यूनतम यात्रा समय से अधिक समय खर्च करता है तो उसे उस अतिरिक्त अवधि के लिए वेतन/टी.ए/डी.ए नहीं मिलेगा।

ii. चयनित अभ्यर्थियों का पाठ्यक्रम के आरंभ के निर्धारित दिन केंद्र पर पहुँचना अपेक्षित है। हालाँकि 10 दिनों तक देर से रिपोर्टिंग की अनुमति देने का अधिकार प्रधानाचार्य को है।

5. केंद्रों में प्रशिक्षण

i. इस भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में क्रमशः 14, 12 और 12 सप्ताह के प्राथमिक, माध्यमिक और प्रगत पाठ्यक्रम शामिल हैं। प्रत्येक कार्य दिवस पर 5.5 घंटे का अध्यापन होता है; नियमित अवधि के अंतराल पर आवधिक परीक्षा और सत्र के अंत में आखिरी परीक्षा होती है। प्रशिक्षण से जुड़े सभी लाभ उठाने हेतु असाइनमेंट और परीक्षाओं में 60% उत्तीर्णांक होना आवश्यक है।

ii. आमतौर पर केंद्र द्वारा तैयार और उपयोग की जाने वाली अनुदेशात्मक सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाती है।

iii. भाषा परिवेश की द्विसाप्ताहिक अध्ययन यात्रा अनिवार्य है। यह बोलने, सुनने और समझने के कौशल में सुधार लाने और लोगों के सामाजिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं और संस्कृति के साथ सीधे संवाद के लिए गहन प्राकृतिक भाषा वातावरण प्रदान करती है। यदि प्रशिक्षणार्थी अप्रत्याशित कारणों से दौरे में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे प्रधानाचार्य और निदेशक से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। इस अवधि को अवैतनिक अवकाश माना जाएगा और प्रशिक्षणार्थी को संबंधित भाषा संकाय द्वारा दिए गए विशेष कार्यभार को पूरा करना होगा।

क्षेत्रीय भाषा केंद्रों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को भाषा अध्ययन यात्रा के दौरान यात्रा भत्ता के अतिरिक्त किसी अन्य मद में अग्रिम धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। निदेशक के पास एलईटी में बदलाव/छूट/रद्द करने का अधिकार है।

iv. प्राथमिक पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर 15 दिनों की मध्यावधि छुट्टी दी जाती है। इस अवधि के आरंभ होने से पहले और समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार की आकस्मिक छुट्टी या किसी अन्य छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से इस अवधि को कम या समाप्त किया जा सकता है।

v. सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा प्रशिक्षणार्थी को कोई अन्य अवकाश नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, भारत सरकार के अवकाश संबंधी नियमों के अनुसार सेवारत शिक्षकों द्वारा यदि किसी अन्य अवकाश का लाभ उठाया जाता है तो इस अवधि के लिए कोई वृत्ति नहीं दी जाएगी।

vi. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन / लघु अवधि की परियोजनाएँ लेने की अनुमति नहीं है। वे भाषा प्रशिक्षण के दौरान कोई अन्य परीक्षा नहीं दे सकते हैं।

vii. प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण के दौरान सभी कक्षाओं में उपस्थित होना और केंद्र के नियमों और विनियमों का पालन करना अपेक्षित है।

viii. प्रशिक्षण अवधि के दौरान वे भारत सरकार के अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों से बाध्य होंगे।

ix. सामान्य तौर पर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण को बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। हालाँकि, विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षणार्थी सक्षम प्राधिकारी से इस हेतु निवेदन कर सकता है।

x. बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने, अध्ययन में खराब प्रदर्शन या किसी अन्य दुर्व्यवहार पर निदेशक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण से बाहर कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थी पर केंद्र द्वारा खर्च की गई संपूर्ण राशि उससे वसूल की जा सकती है।

xi. प्रतिनियुक्ति की किसी भी शर्त में छूट/सुधार/रद्द/संशोधन करने, नामांकन करनेवाले आवेदकों की संख्या और उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर अध्ययन की भाषा के आबंटन या अन्य किसी ऐसी आकस्मिकता का अधिकार निदेशक के पास सुरक्षित है।

xii. प्रशिक्षणार्थीयों को यह भी वचनबंध देना होगा कि यदि वे प्रशिक्षण को बीच में छोड़ते हैं तो उसे मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और वृत्ति की कुल राशि उससे वसूल की जा सकती है।

xiii. प्रशिक्षणार्थियों के चयन संबंधी किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

xiv. प्रशिक्षणार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यभारों और परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करें। प्राथमिक पाठ्यक्रम/इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में उन्हें एक बार पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षणार्थी फिर से असफल हो जाता/जाती है तो उसे प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जाएगा।

6. छात्रावास में प्रवास

i. प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य सुविधायुक्त छात्रावास/आवासीय सुविधा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जा सकती है ।

ii. प्रशिक्षणार्थी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराये गए छात्रावास में नाममात्र के मासिक किराए पर रह सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के पारिवारिक सदस्यों को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है।

iii. प्रशिक्षणार्थी को उचित कारणों से प्रधानाचार्य और निदेशक से अनुमोदन मिलने पर छात्रावास के बाहर रहने की अनुमति दी जा सकती है।

iv. प्रधानाचार्य द्वारा निर्दिष्ट मेस जमा राशि प्रशिक्षण की शुरुआत में देय है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान हुए नुकसान एवं अन्य खर्चों की भरपाई करने के बाद जमा राशि वापस की जाएगी।

v. क्षेत्रीय भाषा केंद्र का अभिकर्ता छात्रावास का मेस चला सकता है या केंद्र के वार्डन के निर्देशन में प्रशिक्षणार्थियों के कुछ प्रतिनिधियों की मदद से भी इसे चलाया जा सकता है। प्रशिक्षणार्थी मेस के शुल्क का भुगतान सीधे वार्डन को कर सकते हैं या कार्यालय द्वारा मासिक वृत्ति के भुगतान के समय उसे काटा जा सकता है।

7. प्रशिक्षण के लाभ

टी.ए/डी.ए

टी.ए/डी.ए का भुगतान केवल सेवारत शिक्षकों को उनकी पात्रता अनुसार किया जाएगा।

परिलब्धियाँ

सरकारी/ पूर्ण सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के चयनित सेवारत शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान क्षेत्रीय भाषा केंद्रों के संबंधित प्रधानाचार्यों द्वारा उन शिक्षकों से संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित और विद्यालय निरीक्षक/डी.ई.ओ द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाएगा।

प्रोत्साहन राशि

भावी शिक्षकों और शोधार्थियों को आर.एल.सी में भाषा सीखने के लिए रु 5,000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वृत्ति

सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रतिमाह रु 800/- (आठ सौ रुपये मात्र) की वृत्ति दी जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि जन सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थी केवल वृत्ति पाने के हक़दार हैं।

प्रशिक्षणोपरांत लाभ

i. केंद्र से प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सीखी गई भाषा का अपने विद्यालयों में अध्यापन करेंगे। राज्यों के कुछ विद्यालयों में इन भाषाओं को तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रावधान है। उन्हें ऐसे स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा और यदि वह एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दस छात्रों को सप्ताह में न्यूनतम तीन कक्षाएँ लेकर उस भाषा का अध्यापन करते हैं तो वे प्रति माह 70/- रुपये नकद भत्ता पा सकते हैं। भत्ते के बारे में प्रासंगिक जानकारी केंद्रों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध करने पर उपलब्ध है।
ii. शिक्षकों को प्रशिक्षण के उपरांत कुछ लाभ प्राप्त हैं जिनमें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और संबंधित भाषाओं के मूल वातावरण में अपने छात्रों के साथ राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेना शामिल हैं। संपर्क कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों में विद्यालयों में बुक कॉर्नर की स्थापना अन्य लाभ हैं।
iii. भाषा प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं के संप्रेषण कौशल को बढ़ाने में, भाषाओं एवं अन्य विषयों के शिक्षण की नई विधियों के विकास में और भाषा, साहित्य तथा संस्कृति में उनकी दक्षता की वृद्धि में सहायक हो सकता है।
iv. यह प्रशिक्षण देश के विभिन्न भागों के विविध पृष्ठभूमियों वाले लोगों के साथ अंतःक्रिया करने तथा अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करता है।

ऑनलाईन भाषा प्रशिक्षण

भारतीय भाषा संस्थान ऑनलाईन शिक्षण की पहुँच, उसकी नमनीयता और संधारणीयता को स्वीकार करता है। संस्थान अभी अपने क्षेत्रीय केंद्रों में पढ़ाई जाने वाली सभी 20 भारतीय भाषाओं में ऑनलाईन प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम आरंभ करने की इच्छा रखता है। भा.भा.सं के क्षेत्रीय भाषा केंद्रों द्वारा 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के सत्रों में संबद्ध भाषाओं में भाषा प्रवीणता ऑनलाईन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई। विगत दो वर्षों में वीडियो-सम्मेलनों के माध्यम से इन केंद्रों द्वारा चलाए गए ऑनलाईन शिक्षण प्रशिक्षण सफल रहे हैं। तथापि, इन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों और इनमें शामिल पाठों को 'हर समय, हर स्थान पर' उपलब्ध कराने की आवश्यकता सामने आई है। प्रयास जारी हैं कि वर्तमान कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सच्चे अर्थों में ऑनलाईन मोड में प्रस्तुत किया जाय ताकि दुनिया भर के लोग अपनी-अपनी गति से भारतीय भाषाओं को सीख सकें। ऐसे पाठों के विकास की कोशिशें चल रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर खरा उतर सकें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और ऑनलाईन शिक्षण की ज़रूरतों के मुताबिक सक्षम होने के लिए ये केंद्र अब ऑनलाईन भाषा प्रवीणता कार्यक्रमों को अधिक औपचारिक रूप में लागू करने की योजना बना रहे हैं।

ऑनलाईन भाषा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम की रूपरेखा

अवधि : सप्ताह में 5 दिन और 5 घंटे प्रतिदिन।

दैनिक शिक्षण में शामिल है 1 घंटे का वीडियो पाठ जिसमें 20 से 45 मिनट का वीडियो दर्शन, पश्चात दुहराव/अभ्यास एवं व्याकरणिक टीपन।

साप्ताहिक संपर्क पाठ: हर सप्ताह एक जीवंत सत्र संचालित किया जाएगा जिसमें छात्र अपने संदेहों के परिहार के लिए शिक्षकों से संवाद करेंगे। इस सत्र में कार्यावंटन और परीक्षण भी शामिल होंगे। इस जीवंत सत्र में प्रशिक्षु पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों के साथ सक्रिय चर्चा में संलग्न होंगे जो मुख्य रूप से उन पाठों पर केंद्रित होगी जो उस सप्ताह में पढ़ाए गये हैं। ऑनलाईन कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी और उत्सुक आवेदकों को संप्रेषित की जाएगी।

LANGUAGE TRAINING
AT REGIONAL LANGUAGE CENTRES OF
CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES

A Unique Initiative

The Central Institute of Indian Languages (CIIL) was established by the Government of India in 1969. Located at Mysuru, CIIL functions as a subordinate office for the Ministry of Education, Department of Higher Education. In five decades of its existence, CIIL has emerged as a premier Institute for the development of all Indian languages. It is recognised within and outside the country for carrying out and supporting extensive research and publication on Indian languages. The Institute through its Seven Regional Language Centres also offers an innovative training with a goal of implementation of three language formula and thereby promote national integrity and social harmony. This Diploma in Language Training is offered mainly to in-service, prospective teachers, research scholars and also to general public interested in developing a career in Indian languages. The trainees opting for this have found it bearing potential to cause positive changes and provide rewarding experiences in language teaching.

Education serves as the basis for human development and growth of civilization and that language is one of the most significant means of imparting education. Language education plays a facilitative role in mental development and knowledge production. Learning a second or a third language broadens our mental horizon, develops cognitive abilities and widens cross-cultural and cross-linguistic understanding. It supports multilingualism and contributes to the development of languages and cultures. The Central Institute of Indian Languages offers a unique opportunity for learning a second language. By choosing to learn a second language, one can make a positive contribution to national integration and promote intercultural understanding and cooperation. This Diploma in Language Training of the Institute offers economic benefits and personality development that may also prepare promotional avenues in one's career. Interested? Apply at the earliest and make a difference in your life, in the lives of generations of your students and in the growth of your languages and cultures.

From the desk of the Director

The Government of India established the Central Institute of Indian Languages (CIIL) on July 17, 1969, to promote Indian languages. Since the inception, the Institute has been working consistently to fulfill its aims and objectives. The establishment of the Institute came with a requirement to implement the three-language formula in all the states of India and consequently promote national integrity and social harmony. This resulted in the establishment of the Regional Language Centres in Karnataka, Odisha, Punjab, Maharashtra, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, and Assam. CIIL takes all the required effort to carry out a Language Training every year in all these centers. This initiative is widely accepted by all the language learning enthusiasts across the country and has been successful in transmitting the required education. Teachers who can teach regional languages and prepare teaching-learning materials are always in demand given the language diversity of India. It is the need of the hour to preserve bi/multilingualism among its citizens and Regional Language Centres across India are playing key roles in this regard. Both social and academic spheres are aware of and accept the benefits of learning a second language. I especially encourage women and young people from the general public, the academia and current and prospective teachers to apply for this Language Training and take advantage of this opportunity.

The Regional Language Centres now have the responsibility of preparing materials and teaching strategies based on the needs of teaching Indian languages as second or foreign languages, training secondary school teachers in languages other than their mother tongues in order to give secondary school students more language options, and raising awareness of the diversity that contributes to the creation of the mosaic of Indian culture through their activities like interlanguage translations. Regional Language Centre will offer Language Training online and has modified the training structure for need-based education in order to meet the demands of the current technological and language education landscape.

Having received several requests from a number of academic bodies and institutions for engaging in consultancy services with regard to language, second language teaching and mother tongue education, the CIIL is actively considering to initiate an all-inclusive approach in providing these services. The Regional Language Centres would not only supervise and assess the pedagogical approaches in schools but also give academic advice to the in-service teachers. It will also take the necessary measures to guide all the Indian states in matters related to language evaluation, testing, curriculum framing, textbook writing and selection. In order to constantly update the discourse of the school curriculum, the Regional Language Centres also plan to organize and conduct workshops in material production and evaluation. Furthermore, the Regional Language Centers are working out a structured layout for the development of massive open online training in regional languages to teach Indian languages online.

Shailendra Mohan
Director, CIIL

DIPLOMA IN LANGUAGE TRAINING
AT REGIONAL LANGUAGE CENTRES

1. The Regional Language Centres with Modern Facilities for Language Teaching-Learning

The Central Institute of Indian Languages has established seven Regional Language Centres at Mysuru, Bhubaneswar, Patiala, Pune, Solan, Lucknow and Guwahati (see Table 1) with a goal of training school teachers in a second language and thereby contribute to the implementation of three-language formula and national integration. As stated in National Education Policy 2020 para 4.13, there will be a greater flexibility in the three language formula. The States and Union Territories need to invest in large number of language teachers in the VIII Schedule languages of the Constitution of India. With over 5 decades of its experience in offering Diploma in Language Training, the Regional Language Centres will help the Government of India to produce large number of language teachers in Government and Government-aided schools and thereby continue to implement the three language formula effectively.

From the beginning of the Regional Language Centres offers Diploma in Language Training in second language over 5 decades usually from ***July to April*** **every year.** ***It involves 1085 hours of effective language instruction and learning. The total intake of this residential training is 506.***

This intensive training enables one to gain full mastery of the concerned second language. On successful completion, the trainees (in-service teachers) are required to teach the language learnt as a third language thereby contributing to the implementation of Three Language Formula in the concerned states.

The Regional Language Centres (Regional Language Centres) are located in seven states including Karnataka, Odisha, Punjab, Maharashtra, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Assam. The members of the academic staff at these Centres are trained in language teaching and Applied Linguistics. They have a rich experience of second language teaching-learning including curriculum development, preparation and evaluation of textbooks, testing, and translation. They not only provide training to the teachers but also open up new vistas in the study of language, culture, bilingualism, translation and other areas related to language education. The Regional Language Centres have adequate facilities for modern language teaching. Barring NERLC, Guwahati, all the Centres have a well-equipped language laboratory of 20-25 terminals and library with more than 15,000 books, journals and newspapers. The libraries at these centres house a wide range of books on literature and social sciences in the languages taught at the Centres, besides dictionaries, reference books, general books in applied linguistics, grammar, translation and various topics in English and other languages. The trainees can develop reading skills in the language they learn and fulfil their interests in other topics related to language, literature, criticism, social and language teaching.

Table 1: REGIONAL LANGUAGE CENTRES

Sl. No.	Centres	Languages Offered	Seats	
1.	Southern Regional Language Centre Manasagangotri, Mysuru – 570 006 **Karnataka** Ph.: 0821-2345045/54/55/2512128 Tel.Fax: 0821-2416699	Kannada, Malayalam, Tamil and Telugu	Kannada Malayalam Tamil Telugu	22 22 22 22
2.	Eastern Regional Language Centre Laxmisagar, Bhubaneswar – 751 006 **Odisha** Ph.: 0674-2974610 Fax: 0674-2572918	Bengali, Maithili, Oriya and Santali	Bengali Maithili Oriya Santali	22 22 22 22
3.	Northern Regional Language Centre Punjabi University Campus Patiala – 147 002 **Punjab** Ph.: 0175-2286730/2922927 Fax : 0175-2282262	Dogri, Kashmiri, Punjabi and Urdu	Dogri Kashmiri Punjabi Urdu	22 22 22 22
4.	Western Regional Language Centre Deccan College Campus, Pune – 411 006 **Maharashtra** Ph.: 020-26699041 Tel.Fax: 020-26614710	Gujarati, Konkani, Marathi and Sindhi	Gujarati Konkani Marathi Sindhi	22 22 22 22
5.	Urdu Teaching and Research Centre Saproon, Solan – 173 211 **Himachal Pradesh** Ph.: 01792-223424/293224 Tel.Fax: 01792-225424	Urdu	Urdu	33
6.	Urdu Teaching and Research Centre TC/42-V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 **Uttar Pradesh** Ph.: 0522-2304917 Fax: 0522-2304918	Urdu	Urdu	33
7.	North Eastern Regional Language Centre 3931, Beltola College Road, Majipara, Bongaon, Guwahati – 781 028 **Assam** Ph.: 0361-2303867 Tel.Fax: 0361-2303152	Assamese, Bodo, Manipuri and Nepali	Assamese Bodo Manipuri Nepali	22 22 22 22
		TOTAL		**506**

2. Eligibility

General

i. The applicant should not have any formal degree, native/nativised proficiency or informal knowledge in the language applied for.
ii. The applicants should not have been trained in any of the languages at the Regional Language Centres or have discontinued or have been terminated from the Regional Language Centres.
iii. The applicants can select a language from the list provided in Table 1.
   (a) Applicants do not have any formal degree or informal knowledge in the language.
   (b) It is not the Official language of the state in which you live.
iv. **The applicants should select the language and Centre they want to learn carefully as change in the language choice and change of category and change of the Centre is not permissible after joining the training.**
v. Preference of language should be clearly mentioned in the application. Otherwise, seats will be allotted according to the vacancies available in the Regional Language Centres.
vi. The applicants opting for **Urdu** should clearly specify the name of the Regional Language Centre viz., **UTRC, Solan / UTRC, Lucknow / NRLC, Patiala** otherwise the seats will be allotted according to the vacancies available in the three Regional Language Centres.
vii. If a candidate is selected in a particular year and if they have not reported to the language training, their candidature will not be considered for **next 3 years.**
viii. He/she must be below **50 years** of age as on **6th July 2026**. Age relaxation may be considered only for In-service Teachers by the competent authority.
ix. It should be noted that English, Hindi and Sanskrit languages are not taught in the Diploma in Language Training.

Specific

The Diploma in Language Training is meant only for in-service teachers. The applicants should compulsorily be a regular faculty. The concerned school authorities may have to send the Service Books in respect of teachers deputed to the Regional Language Centres concerned.

However, depending on the availability of seats, admission will also be provided to applicants who are Prospective Teachers, Research Scholars or General Public. The candidate should and must possess the required eligibility at the time of applying and otherwise, it should be mentioned in the application, if the applicant is pursuing such qualification. The change of category is not permissible at the middle of the training.

Research Students/Scholars

Preference will be given to the Research students/Scholars who have registered for their Ph.D. in languages or allied subject and who feel that knowledge of the language and language studies will help their research work and those who have a long term interest in language or language development activities. Applicants under this category must send their application through their Department.

The essential qualifications for all the four categories are given below:

a) In-service Teachers
A Bachelor's degree or equivalent with a minimum of three years teaching experience in a Primary/Higher Primary/High school in Government/Fully Government-aided schools.

b) Prospective Teachers
A Bachelor's or Master's Degree in Education (B.Ed./M.Ed.) or. B.El.ED. or D.El.Ed **or**
TET qualified candidates

c) Research Scholars
Ph.D. pursuing scholars **or**
NET/SET/SLET qualified candidates

d) General Public

i. A Bachelor's degree from a recognised university
ii. A Diploma from a recognised university **or**
iii. Ph.D. completed/awarded from any recognised University

MODE OF THE LANGUAGE TRAINING

Regular or Offline for Diploma

The students who undergo training through regular training / Offline mode, can opt for training in one go or they can individually opt for only Basic Training for 4 months, Intermediate training for 3 months and Advanced Training for 3 months at their convenient. However, to get a Diploma Certificate all the three training should be completed.

Online for Diploma

The Training will be conducted in online mode which includes Basic Training for 4 months from July to October, Intermediate Training for 3 months from November to January and Advanced Training for 3 months from February to April. All the three Training includes 15 days contact classes in Basic, Intermediate and Advanced conducted at the respective Centres. Language Environmental Tour (LET) will be for 14 days during Advanced Training. The applicant can choose firstly Basic Training later can opt for Intermediate Training and further will be Advanced Training of the Diploma separately or they can opt for all the three at a time which will run from **July - April**.

Contact programme of 15 days during Basic Course, Intermediate Course and Advanced Course will be conducted at the respective Centres. Accommodation will be provided during the contact classes and TA/DA will be given. Trainees are entitled for 3 tier AC only.

The trainees who undertake language training on-line will not get any financial benefit in any manner. They are entitled for Basic Training, Intermediate Training and Advanced Training or Diploma Certificate separately for each Course.

3. How to ensure Admission with Full Benefits

i. Application may be filled and submitted either **online** or **Offline** at **www.ciil.org/langtraining.php** under the **"Diploma Application" section**. Applicant who applies Online has to send the hard copy of the application also and if applicant wants to submit application through Offline may download the Application from website and submit by post to the **Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangothri, Mysuru-570006** without fail before the due date. Application fee of **Rs.150/- (Rupees One Hundred and Fifty only)** may be remitted either through **QR code** or through a Demand Draft drawn from **any Nationalised Banks** and the Demand Draft should be drawn in favour of **'MHRD HIGHER CAS CLG'** payable at **New Delhi**.

ii. In-service teachers must submit their application through proper channel duly certified and forwarded by the Headmaster of the School and BEO/DEO/BDO/CEO/EO/DPI/ DDPI/ ZEO/BSA/Inspector of schools. In-service Teachers may send an Advanced copy, if not signed by the concerned authority at the time of applying. However, duly signed hard copy should reach before the admission.

iii. Teachers from Government/Fully Government-aided schools must produce their last pay certificate indicating details such as basic pay, scale of pay, DA, ADA, HRA, CCA, date of increment etc. If the pay is revised during the period of training, the applicant must produce the revised pay certificate with allowances. If deputation allowance or any other special allowance is permissible to be paid during the training period, this may also be mentioned in the last pay certificate.

iv. The Centres do not pay employer's contribution under the scheme of Contributory Fund. Applicants must make necessary arrangements for this.

v. Prospective teachers/research scholars and general public must submit their applications directly to the Director, CIIL along with supporting documents. Besides this, PhD pursuing scholars must have completed the Ph.D. training work and also attach a "Ph.D. Registration Certificate" and "No Objection Certificate" from their University and their applications should be forwarded by their Guides. The Ph.D. pursuing scholars must submit an undertaking at the time of joining the Regional Language Centres that he/she will attend the classes regularly failing which he/she will be terminated from the training.

vi. The reservation of seats belonging to SC, ST, OBC and EWS categories is available as per the Constitutional provision. The applicants may avail this, if eligible.

vii. All applicants must submit a certificate of fitness issued by a Medical Officer stating that the concerned applicant is physically fit and can sustain food and environmental conditions of the place of training. This may be sent along with the application form.

4. Travel to the Centre

i. After getting relieve order from the place of work, the in-service teachers must take minimum time to travel to the Regional Language Centre by the shortest route either by rail (3 tier AC only) or by bus (non Deluxe/AC buses), if the place is not connected by rail. If one spends more than the minimum travel on the journey, she/he will not get salary/TA/DA for the extra period.

ii. The selected candidates are expected to reach the Centre on the day prescribed for the beginning of the training. However, the Principal has the discretion to grant permission of reporting late up to 10 days.

5. Training at the Centres

i. This Language Training includes Basic, Intermediate and Advanced Course(s) for 14, 12 and 12 weeks respectively. There is 5.5 hours of instruction on each working day; Periodical tests and final examination are conducted at the end of each training. It is essential to secure 60% pass marks in the assignments and examinations in order to avail all the benefits associated with the training.

ii. Generally the instructional materials prepared and used by the Centres are provided to the trainees.

iii. Language Environment Tour for two weeks is mandatory. This provides an intensive natural language environment for improvement of speaking, listening and understanding skills and direct interaction with the people and their social customs, beliefs and culture. If trainees are unable to join the tour for reasons beyond their control, they require a prior permission of the Principal and Director in the matter. This period will be considered as period without pay and the trainee should complete a special assignment given by the concerned language faculty.

The Regional Language Centres will not grant any kind of Advances other than TA Advance during the Language Environment Tour to the trainees. The Director has the right to change/ relax/amend/cancel the LET on special grounds or as a special case.

iv. A mid-term vacation of 15 days is given on the completion of Basic Course. Prefixing or suffixing Casual Leave or any other kind of leave is not allowed. The duration may be reduced or abolished in exceptional circumstances.

v. A period of 10 days casual leave will be provided during the training period for all the trainees. No other leave will be granted to trainees other than the above. However, if any other leave is availed by the In-service teachers, as per Government of India leave rules, no stipend will be admissible for such period.

vi. During the training period, trainees are not permitted to undertake studies/short term projects. They may not appear for any examination during the language training.
vii. Trainees are expected to be present for all classes and follow the rules and regulations of the Centre.
viii. They will be governed by the discipline and conduct of the Govt. of India rules during the period of training.
ix. In general, trainees cannot withdraw from the training. However, in exceptional cases, the trainee may approach the competent authority for consideration of the same.
x. The Director may terminate a trainee in case of absence without permission, poor performance in study or any other misconduct. In such circumstances, the entire cost incurred by the Centre on the trainee may be recovered from him/her.
xi. The Director reserves the right to relax/modify/revoke/amend any of the conditions of deputation, the right of admission and the allotment of a language for learning depending upon the number of applicants, number of seats available or any other such contingency.
xii. Trainees must also submit an Undertaking that if he/she leaves in the middle of the training, the total amount of incentive and stipend received may be recovered from him/her.
xiii. No interim correspondence regarding the selection of trainees shall be entertained.
xiv. The trainees are expected to secure the minimum pass marks in the assignments and examinations. In case of failures in Basic Course Examination/Intermediate Course Examination, the failed Trainee will be given a chance to appear for re-examination. If the Trainee fails again, he/she will be relieved from the Training.

6. Stay at the Hostel

i. The trainees may be provided with modest hostel facilities/accommodation depending upon availability.
ii. The trainees may stay in the hostel/accommodation which is provided by the Centre on a nominal monthly rent. Family members of the trainees are not allowed to stay in the Hostel.
iii. A trainee may be permitted to stay outside the hostel on producing genuine reason and obtaining permissions of the Principal and the approval of the Director.
iv. A mess deposit as specified by the Principal is payable at the beginning of training. The deposit is refundable after adjusting expenses due to damage or any loss during the training period.
v. A contractor of the Regional Language Centre may run the hostel mess or it may be run with the help of the representatives of the trainees with the guidance of the Warden of the Centre. Trainees may pay the mess charges directly to the Warden or the Office may deduct them at the time of making payment of monthly stipend.

7. Benefits of the Training

TA/DA

TA/DA will be paid only for In-service teachers for their onward and return journeys as per their eligibility.

EMOLUMENTS

The selected In-service teachers from Government/Fully Government Aided schools will be paid their salaries based on the Last Pay Certificate sent by their respective Drawing and Disbursing Officers duly countersigned by the Inspector of Schools/DEO.

INCENTIVES

The Prospective Teachers and Research Scholars will be paid an amount of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) per month as an incentive to learn a language from the Regional Language Centres.

STIPEND

All trainees will be paid a stipend of Rs.800/- (Rupees Eight Hundred only) per month during the training period.

Please note that the applicants admitted under General Public category are entitled to stipend only.

Post-Training Benefits

i. After the completion of the training, the teachers are expected to teach the language they have learnt at the Centres in their school. There is a provision for teaching these languages as a third language in some schools of the state. He/She will be posted in such schools and if he/she teaches a language for a minimum of three periods a week to at least ten students for one academic year, he/she is entitled to get Rs 70/- per month as **Cash Allowance.** The relevant information about claiming allowance is available on request with the Principals of the Centres.
ii. The teachers have some post-training benefits that include Refresher Course, National Integration Camps along with their students in the native environment of the languages concerned. Contact and the establishment of Book corners in schools in different states are other benefits.
iii. The Language Training would help to improve the communication skills, develop modern methods of teaching language(s) and other subjects, and increase their competence in language, literature and culture.
iv. The training provides an opportunity to interact with people from different parts of the country with diverse backgrounds and develop their personality.

Online Language Training

The Central Institute of Indian Languages recognizes the reachability, flexibility and sustainability of online education. The Institute intends to introduce online training/courses in all twenty languages it has been offering through its regional centres so far. The Regional Language Centres of CIIL started to offer the language proficiency training/courses in the concerned languages online experimentally during 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26 sessions. The online instruction of these Centres conducted through video conferencing has been successful in the last couple of years. However, the need has emerged for making these training/courses and the lessons included in them available for anytime anywhere access. Efforts are on to offer the existing training/courses online in true sense of the word so that people across the globe can learn Indian languages at their own pace. Efforts are on to develop the lessons that meet the international professional standards. To meet these new necessities and enable the requirement of online instruction these Centres are planning to introduce the online language proficiency training more formally now.

Modality of the online language training/course

Duration: 5 days a week and 5 hours a day. The daily instruction includes 1 hour video lesson(s) of 20-45 minutes followed by drills/exercises and grammatical notes.

Weekly contact sessions: Every week one live session will be conducted where the teacher and the students will interact and clear the doubts. In this session assignments and tests will also be conducted. In the live session, the trainees may get into active interaction with the course instructor mainly by focusing the lessons learnt in the week.

More information concerning the online training/courses will be made available on the website and communicated to the interested applicants.

7 REGIONAL LANGUAGE CENTRES

Southern Regional Language Centre, Mysuru, Karnataka (Estt. : 05-07-1970)

Western Regional Language Centre, Pune, Maharashtra (Estt. : 25-09-1970)

Eastern Regional Language Centre, Bhubaneswar, Orissa (Estt. : 23-07-1970)

Urdu Teaching and Research Centre, Solan, Himachal Pradesh (Estt.: 01-07-1973)

Northern Regional Language Centre, Patiala, Punjab (Estt. : 23-09-1970)

Urdu Teaching and Research Centre, Lucknow, Uttar Pradesh (Estt.: 20-09-1984)

North Eastern Regional Language Centre, Guwahati, Assam (Estt.: 08-02-1989)

हमें लिखें

निदेशक
भारतीय भाषा संस्थान
(शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग
भारत सरकार)
मानसगंगोत्री, हुणसूर रोड,
मैसूरु – 570 006

हमें कॉल करें

आर एल सी अनुभाग: (0821) 2345156
फैक्स: (0821) 2515032 (कार्यालय)

हमें ईमेल करे

rlc.ltp.app@gmail.com

वेब

http://www.ciil.org/langtraining.php

Write to us

The Director
Central Institute of Indian Languages
(Ministry of Education
Department of Higher Education, Govt. of India)
Manasagangotri, Hunsur Road,
Mysuru - 570 006

Call us

RLC Section: (0821) 2345156
Fax: (0821) 2515032 (Off)

E-mail us

rlc.ltp.app@gmail.com

Visit us

http://www.ciil.org/langtraining.php

1969 - 2019

भारतीय भाषा संस्थान
और
क्षेत्रीय भाषा केंद्रों

CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN LANGUAGES
&
REGIONAL LANGUAGE CENTRES

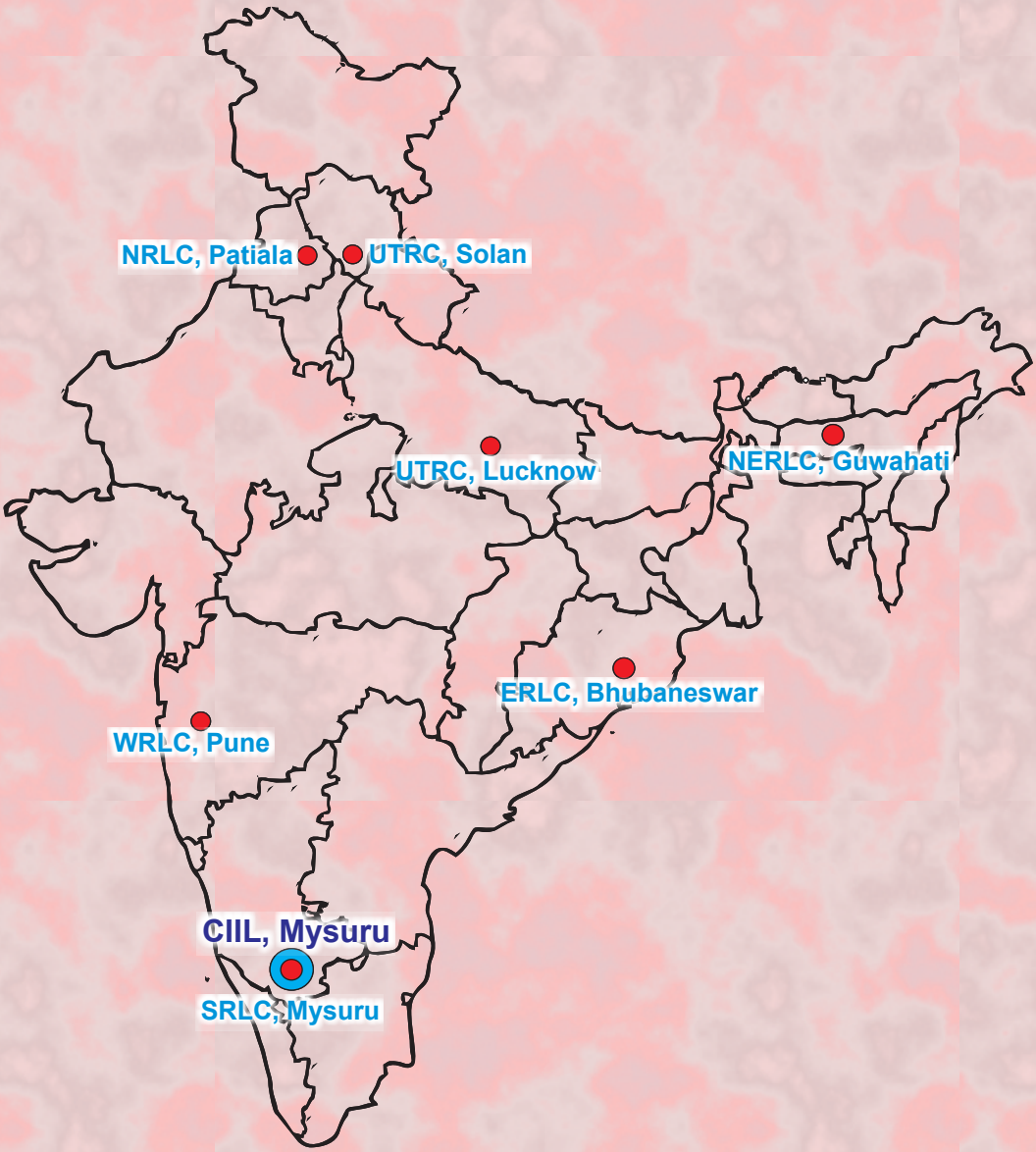

E-mail us
rlc.ltp.app@gmail.com